

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-73/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
श्रीमती सारो देवी — विक्रेता

प्रति  
श्री आदित्य कुमार वगैरह—क्रेता

**आदेश**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका (विक्रेता) श्रीमती सारो देवी, पति—श्री सरयू राम, ग्राम—कल्याणपुर, पोस्ट—कल्याणपुर, थाना वो जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता 1. श्री आदित्य कुमार, पिता—श्री सत्यनारायण प्रसाद 2 श्री दीपक कुमार, पिता—श्री कृष्णा प्रसाद, ग्राम—कल्याणपुर, पोस्ट—कल्याणपुर, थाना वो जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन के पत्रांक 139/दिनांक 25.03.2022 के द्वारा प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी ॥ के पृष्ठ सं०-190/8 पर चलता है। विक्रेता जाति के कहांर (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता सं०-1 चन्द्रवंशी कहांर, क्रेता सं०-2 चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका (विक्रेता) श्रीमती सारो देवी, पति—श्री सरयू राम, ग्राम—कल्याणपुर, पोस्ट—कल्याणपुर, थाना वो जिला—गढ़वा ने क्रेता 1. श्री आदित्य कुमार, पिता—श्री सत्यनारायण प्रसाद 2. श्री दीपक कुमार, पिता—श्री कृष्णा प्रसाद, ग्राम—कल्याणपुर, पोस्ट—कल्याणपुर, थाना वो जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

**भूमि का विवरण:-**

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
कल्याणपुर	230	161	2032	0.12 $\frac{1}{2}$	उ०-प्लॉट नं०-2030, द०-सोमारू राम, पू०- प्लॉट नं०-2033, प०-उदय कुमार राम,
			2032	0.03 $\frac{3}{4}$	उ०-कृष्णा राम, द०-सरयू राम, पू०-प्लॉट नं०-2033, प०-प्लॉट नं०-2031.
कुल रकबा:-				0.16 $\frac{1}{4}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अपर समाहर्ता

  
अपर समाहर्ता